कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

Ph- : 0751–2970519(O)
E-mail- registrar@rvskvv.net

कुलसचिव

क्र./कु.स./स्था./अधि./2024–25/1192 दिनांकः 22-07-2024

अधिसूचना

विश्वविद्यालय प्रमंडल की 52वीं बैठक दिनांक 10.06.2024 के पद क्रमांक 05 में लिये गये निर्णयानुसार वैज्ञानिकों/शिक्षकों/तकनीकी अधिकारियों के सेवानिवृत्ति पश्चात विश्वविद्यालय अंतर्गत संविदा पर रखने हेतु संलग्न दिशा–निर्देशों एवं शर्तों का अनुमोदन किया गया।

(संलग्नः दिशा–निर्देश एवं शर्तें, कुल पृष्ठ 04)

(माननीय कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
दिनांकः 22-07-2024

पृष्ठा. क्र./ स्था./अधि./2024–25/1193
प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/विस्तार/अनुसंधान सेवाएं, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर, इंदौर, सिहोर, खंडवा, मंदसौर
4. सह संचालक अनुसंधान, समस्त क्षेत्रीय/आंचलिक अनुसंधान केन्द्र, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि।
5. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि.।
6. उप कुलसचिव (स्था./शैक्ष.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. पोर्टल प्रभारी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की ओर वि.वि. पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।
8. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

कुलसचिव

वैज्ञानिकों/शिक्षकों/तकनीकी अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के पश्चात विश्वविद्यालय में संविदा पर रखने हेतु दिशा–निर्देश एवं शर्तें–

1. संविदा नियुक्ति की मूल नीति–

ऐसे प्रकरणों में जहां संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का संबंधित पद पर बने रहना तात्कालिक हित में हो अथवा व्यक्ति द्वारा किया जा रहा कार्य ऐसे स्वरूप का हो कि फिलहाल उस कार्य को करने के लिए विभाग के पास कोई अन्य तात्कालिक विकल्प उपलब्ध न हो, उस स्थिति में संविदा नियुक्ति की जा सकती है। सेवानिवृत्ति पश्चात शासकीय सेवकों को अत्यंत आपवादिक स्थिति में ही संविदा पर रखा जाना चाहिए, जिसका विनिश्चय एकमात्र लोकहित के संदर्भ में ही किया जाए।

2. संविदा नियुक्ति के लिए मापदण्ड–

शासन के पत्र क्र./सी–3–12/2011/3/एक दि. 03.09.2011के अनुसार ही सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को आवश्यकतानुसार कार्य पर रखने हेतु निम्न मापदण्ड अपनाये जाये।

- संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का गोपनीय चरित्रावली 05 वर्ष का अभिलेख समग्र रूप से ''बहुत अच्छा'' श्रेणी या उससे उच्च कोटि का हो,
- पिछले 10 वर्षों के दौरान संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कोई भी दण्ड न दिया गया हो, इस आशय का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा तैयार प्रपत्र में दिया जावेगा।
- संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की निष्ठा के बारे में उसके सेवाकाल में किसी भी समय कोई संदेह या आक्षेप न किया गया हो और सामान्यतः ईमानदारी और दक्षता के बारे में उसकी ख्याति अच्छी रही हो।
- संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में हो, जिसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा तैयार प्रपत्र में चिकित्सा अधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जावेगा।

3. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की आयु

शासन के पत्र क्र./सी–3–12/2011/3/एक दि. 03.09.2011 के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की संविदा नियुक्ति हेतु आयु निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय हेतु आयु के मापदण्ड निम्नानुसार रखे जाना प्रस्तावित हैं:

(अ) 62 वर्ष अधिवार्षिकी आयु वाले अधिकारी/कर्मचारी –

अधिवार्षिकी आयु से अधिकतम 05 वर्ष अर्थात् 67 वर्ष की आयु तक संविदा नियुक्ति विभिन्न शर्तों के अधीन की जा सकेगी।

(ब) 65 वर्ष अधिवार्षिकी आयु वाले अधिकारी/कर्मचारी –

अधिवार्षिकी आयु से अधिकतम 05 वर्ष अर्थात् 70 वर्ष की आयु तक संविदा नियुक्ति विभिन्न शर्तों के अधीन की जा सकेगी।

4. संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया –

- इसके लिए आईसीएआर व अन्य वि.वि. के वेबसाईट पर विज्ञापन देने के साथ उन संस्थाओं को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु पत्र प्रेषित किये जाये, साथ ही सर्च कमेटी द्वारा भी पात्र नाम सुझाये जा सकते हैं। चूंकि कार्य अनुभव के आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को रखना है अतः संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भी आवेदन भेजने हेतु लिखा जा सकता है।
- सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को संविदा नियुक्ति देने का प्रस्ताव (पूर्ण जानकारी के साथ–साथ इस बात का उल्लेख करते हुए कि संबंधित अधिकारी का विकल्प ढूंढ़ने के हर संभव प्रयास किए गऐ किन्तु उपयुक्त विकल्प उपलब्ध न हो पाने के कारण इनकी संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव है) संबंधित शासकीय सेवक के गोपनीय प्रतिवेदन एवं संपत्ति विवरण सहित समिति को भेजा जायेगा।
- इस प्रकार के प्रस्तावों का परीक्षण छानबीन समिति द्वारा कराया जाये, जिसकी अनुशंसा पर आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार के संविदा नियुक्ति के मामलों की छानबीन निम्नानुसार गठित समिति द्वारा की जा सकेगी–
  - मान. कुलपति महोदय अथवा उनके द्वारा नामित अधिष्ठाता कृषि संकाय/निदेशक – अध्यक्ष
  - कोई अधिष्ठाता (माननीय कुलपति महोदय द्वारा नामित) –सदस्य
  - लेखा नियंत्रक– सदस्य
  - बाह्य विषय विशेषज्ञ (माननीय कुलपति महोदय द्वारा नामित)– सदस्य
  - कुलसचिव अथवा उनके द्वारा नामित– सदस्य सचिव
- समिति संविदा नियुक्ति के मामलों को उनके कारण और नियुक्ति की अवधि दर्शाते हुए नियुक्ति की अनुसंशा प्रशासकीय अनुमोदन हेतु माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी। जिसके आधार पर उनके द्वारा नियुक्ति की अनुमति प्रदान की जाएगी और कुलसचिव द्वारा इस प्रकार की नियुक्ति की जावेगी।

5. संविदा नियुक्ति हेतु मानदेय –

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र.क. 5–1/2017/एक/3 भोपाल, दिनांक 06.10.2017 के नियम 12 (2) के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय वेतन संरचना में देय मूल वेतन तथा देय मंहगाई भत्ता में से देय पेंशन एंव उसमें देय मंहगाई राहत घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त राशि संविदा मानदेय होगा।

जिन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में छठवें वेतनमान के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, उन विश्वविद्यालय/संस्थाओं से सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदाकर्मी नियुक्त होने पर सेवानिवृत्ति के समय छठवें समयमान के आधार पर देय अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (काल्पनिक) में अंकित मूल वेतन में से देय पेंशन प्रमाण पत्र में अंकित मूल पेंशन घटाने पश्चात भुगतान योग्य एकमुश्त राशि संविदा मानदेय होगा।

6. संविदा नियुक्ति हेतु सामान्य शर्तें–

संविदा नियुक्ति हेतु सामान्य शर्तें इस प्रकार निर्धारित की जा सकती है –

- संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे।
- संविदा नियुक्ति एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं दी जायेगी। कार्य संतोषजनक होने पर नियत्रंक अधिकारी की अनुशंसा उपरांत आगामी एक वर्ष हेतु नियुक्ति अवधि में वृद्धि माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से की जा सकेगी।
- सेवायें संतोषजनक न पाये जाने की दशा में नियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
- संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपने मूल विभाग की पेंशन पृथक से प्राप्त करने तथा पेंशन पर देय राहत (यदि कोई है तो) की पात्रता भी होगी।
- संविदाकर्मी को 13 आकस्मिक अवकाश (महिला कर्मी होने के दशा में 07 अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश) एवं 03 ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
- संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी। इसके आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जा सकेगा।
- संविदा नियुक्ति के दौरान संविदाधारी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके ऐवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- इस संविदा के अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के लिये विधिपूर्ण होगा कि वह इस संविदा के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय सेवायें समाप्त कर दें।

- संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।
- यदि संविदा अवधि में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के साथ कोई घटना/दुर्घटना घटित होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय अनुतोष देय नहीं होगा।
- संविदाकर्मी अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा भत्ता/चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
- संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह के आवंटन/ आधिपत्य की पात्रता नहीं होगी, न ही गृह भाड़ा भत्ता देय होगा।
- संविदा नियुक्ति के समय यदि उसके नाम से शासकीय आवास आवंटित होगा या आधिपत्य में होगा तो उसे शासकीय आवास रिक्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही संविदा नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
- यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
- यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को और अवधि के लिए संविदा नियुक्ति दिए जाने की आवश्यकता पड़े तो उनके पूर्व के संविदा नियुक्ति के कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन किया जा सके इस उद्देश्य से संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाना चाहिए।
- उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी बिन्दु पर अस्पष्टता होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्र. सी–3–12/2011/3/एक भोपाल, दिनांक 03.09.2011, क्र. 5–1/2017/एक/3 भोपाल, दिनांक 06.10.2017, क्र. 5–1/2017/एक/3 भोपाल, दिनांक 26.05.2018 तथा अन्य संबंधित पत्रों के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।
- किसी भी प्रकार के वाद का कार्यक्षेत्र म.प्र. उच्च न्यायालय होगा।

समिति यह भी अनुसंशा करती है कि यदि आवश्यक हो तो सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को संविदा नियुक्ति देने के पूर्व विधिक सलाह भी ली जा सकती है।

कुलसचिव